

राजस्थान सरकार
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग
ठी-3/1, अधेशकर भवन राजमहल पैलेस के पांचे जग्गपुर

क्रमांक : एका. 11(126) / (हु. चज.-भो.ना.-ख.छीपा) / ओर्डर्सी/आरप्पली/साम्याग्रि/13/72871

जग्गपुर दिनांक 30.9.2013

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े गए विभिन्न जाति/वर्गों के नामों के अनुक्रम में मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 259/2013 दिनांक 30 नितम्बर, 2013 की अनुपालन में राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े जाति/वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :-

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है	राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की जारी सूची की क्रम संख्या एवं पृथक क्रमांक जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है
1	कृषक (करसा) राजपूत (खरवड, चदाना, कंठड, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दधाणा) समाज	सूची में पृथक क्रमांक 90 पर कृषक (करसा) राजपूत (खरवड, चदाना, कंठड, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दधाणा) समाज
2	भोपा/भोपा (नायक)	सूची में पृथक क्रमांक 91 पर 'भोपा/भोपा (नायक)'
3	खट्टम संख्या 7 पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्टी छीपा, रंगरेज, नीलगर आदि में खट्टी छीपा के साथ 'खट्टी छीपा/सिंधी खत्ती'	सूची में खट्टम संख्या 7 पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्टी छीपा, रंगरेज, नीलगर आदि में खट्टी छीपा के साथ 'खट्टी छीपा/सिंधी खत्ती'

आज्ञा से,

26/9/13
(अजिताम शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज. जगद्गुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मदासहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राज. सरकार।
5. प्रमुख सचिव, माननीय गुरुश्चमंत्री महोदय, राजस्थान।
6. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त संघातीय आयुक्त।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर/ जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोकसेना आयोग, अजमेर।
11. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पेंचड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
12. निजी सचिव/ विशिष्ट सचिव, समस्त मंत्री/ राज्य मंत्री, राजस्थान।
13. समस्त विभागाध्यक्ष।
14. समस्त जिला कलबटर।
15. समस्त पुलिस अधीक्षक।
16. निदेशक, सूचना एवं जनतम्यक (विभाग, जयपुर।
17. समस्त उप निदेशक/ रहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग _____
18. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर नो राजस्थान राजपत्र (विशेषाक) में प्रकाशन हेतु।
19. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावासु को विभागीय बेक्साइड पर अपलोड करने एवं उपरोक्त समस्त को ई-मेल करने बाबत।
20. गार्ड फाइल।

४६३०५१३
शासन सचिव